



राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान/ National Institute of Fashion Technology
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार)/ (Ministry of Textiles, Govt. of India)
निफ्ट कैम्पस, दूरभाष नगर / NIFT Campus, Doorbhash Nagar
रायबरेली - 229010 (उ०प्र०)/ Raebareli - 229010 (UP)
शैक्षणिक विभाग/ Academic Affairs Department

No. 9327(1)/AA/NIFT-RBL/Govt. Scholarship (Central Sector)/2024

Date: 21.08.2024

परिपत्र / CIRCULAR

सभी विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है कि सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा ऑनलाइन छात्रवृत्ति नवीन एवं नवीनीकरण आवेदन पत्र "राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल" पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आमंत्रित किए गए हैं। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे छात्रवृत्ति के अधिक विवरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट <https://scholarships.gov.in/> पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट में छात्रवृत्ति के दिशा-निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में, विद्यार्थी शैक्षणिक विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं।

All the students are hereby informed that the online Fresh and Renewal Scholarship Application Forms are invited by the different Ministries of Govt. of India on "National Scholarship Portal" for the financial year 2024-25. For the details/guidelines, the students are advised to visit the official website <https://scholarships.gov.in/>. In this regard, in case of any difficulty the students may contact to the Academic Affairs Department, NIFT Raebareli.

सभी पात्र विद्यार्थियों (नवीन और नवीनीकरण)को सलाह दी जाती है कि वे दिनांक **31.10.2024** को या उससे पहले शैक्षणिक मामलों के विभाग को भरे हुए ऑनलाइन छात्रवृत्ति फॉर्म के प्रिंटआउट एवम सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रति के साथ भौतिक रूप में जमा करें। **31.10.2024** के बाद किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

All eligible students (Fresh and Renewal) are advised to submit the printout of duly filled online Scholarship form along with all requisite documents to Academic Affairs Department on or before **31.10.2024**. No application form will be entertained after **31.10.2024**.

2nd/3rd/4th वर्ष के विद्यार्थी नवीन छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चयन के पात्र नहीं हैं।

Students of 2nd/3rd/4th year are not eligible for awarding fresh scholarship.

छात्रवृत्ति नियमावली में दिए गए प्राविधानों के अनुसार विद्यार्थी का आवेदन एक ही छात्रवृत्ति हेतु संस्था द्वारा अग्रसारित किया जायेगा। अतः विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि छात्रवृत्ति हेतु एक ही विभाग में आवेदन करे।

As per the provisions given in the Scholarship rules, the student's application will be forwarded by the institution for only one scholarship. Therefore, students are directed to apply for scholarship in only one department.

(एन० एस० बोरा / N. S. Bora)

निदेशक / Director

प्रतिलिपि / Copy to:

1. सी०ए०सी०, को सूचनार्थ हेतु /The CAC - for kind information please.
2. समस्त सी०सी०, विद्यार्थियों के बीच व्यापक प्रचार के लिए / All CCs – for wide publicity among the students.
3. एस०डी०ए०सी०, विद्यार्थियों के बीच व्यापक प्रचार के लिए / The SDAC-for wide circulation among the students.
5. समस्त नोटिस बोर्ड / All Notice Boards.